

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- पीयूष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 58/2021

आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 201-202, 2. द्वितीय तल साउथेंड स्व्वायर,
मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर -302020

..... प्रार्थी

बनाम

1. श्री नगेन्द्र बानपुरिया पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण बानपुरिया, पता-वार्ड नं014, चौथमाता मंदिर के पास, बांदीकुई, जिला दौसा राज0 303313 दूसरा पता- वार्ड नं. 14, नया वार्ड नं0 18, कुम्हार मौहल्ला, चौथमाता मंदिर के पास, बांदीकुई, जिला दौसा राज0 303313(ऋणी व बंधककर्ता)
2. श्रीमती चन्द्रकला बानपुरिया पत्नि श्री नगेन्द्र बानपुरिया, पता-वार्ड नं014, चौथमाता मंदिर के पास, बांदीकुई, जिला दौसा राज0 303313 (सह ऋणी)
3. श्रीमती उषा बानपुरिया पत्नि श्री योगेन्द्र बानपुरिया, पता-वार्ड नं014, चौथमाता मंदिर के पास, बांदीकुई, जिला दौसा राज0 303313 (सह ऋणी)
4. श्री योगेन्द्र बानपुरिया पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण बानपुरिया पता-वार्ड नं014, चौथमाता मंदिर के पास, बांदीकुई, जिला दौसा राज0 303313 (सह ऋणी व बंधककर्ता)
5. श्री योगेश कुमार सैन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण सैन, पता-वार्ड नं014, चौथमाता मंदिर के पास, बांदीकुई, जिला दौसा राज0 303313 (जमानती)

.... अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002

बाबतस्थित : श्री दिनेश जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 14.12.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण व अन्य को 7,50,000/- (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई श्री नगेन्द्र, योगेन्द्र बानपुरिया पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण बानपुरिया की संपत्ति जो कि वार्ड नं. 14, नया वार्ड नं0 18, कुम्हार मौहल्ला, चौथमाता मंदिर के पास, बांदीकुई जिला दौसा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका बिल्टअप एरिया 231.11 वर्गगज एवं सुपर बिल्टअप एरिया 231.11 वर्गगज है जो कि थाना बांदीकुई के अंतर्गत है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14 दिसंबर 2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर दौसा